गीडा आवासीय योजना

शपथ पत्र का प्रारूप

पासपोर्ट साइज फोटो आवेदक 1	पासपोर्ट साइज फोटो आवेदक 2

(रूपमा 107 के स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सम्यापित्त)

समक्ष मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गोरखपुर

मैं श्री/श्रीमती/कु. .... पिता/पति का नाम श्री ....

निवासी... आयु .... वर्ष .... व्यवसाय ....

शपच पूर्वक बयान करता/करती हूँ :-

1. मैं/हम भारत का के नागरिक हूँ/हैं।
2. मैं/हम गोरखपुर-लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-28 पर गीडा की गीडा आवासीय योजना, ... के अन्तर्गत प्रस्तावित भूखण्ड के आवेदन तथा तत्सम्बन्धी भूमि पट्टे पर लेने के लिए यह शपथपत्र प्रेषित कर रहा हूं/रही हूं।
3. मैं/हम बालिग हूं तथा मेरी आयु 18 वर्ष से अधिक है।
4. मैं/हम प्रार्थना-पत्र केवल अपने लिये ही दे रहा/रही हूं और इसमें किसी प्रकार को बेनामी अधिकार शामिल नहीं है।
5. मुझे गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा आवेदित आकार का भूखण्ड देने की सभी शर्ते व नियम मान्य है।
6. मैं/हम यह भी स्वीकार करता/करती हूं कि भूखण्ड का रख-रखाव तथा उसे सुन्दर व स्वच्छ हालत में रखने की जिम्मेदारी मेरी होगी और में ही भूखण्ड/भवन के सम्पत्ति कर अथवा अन्य जो भी कर देय होंगे, उनको देने का उत्तरदायी रहूँगा/रहूँगी। मैं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गीडा द्वारा समय-समय पर दिये गये सभी निर्देशों का पालन करता रहूंगा/रहूंगी।
7. मैं/हम यह भी घोषित करता करती हूँ कि जब तक भूखण्ड की समस्त किश्तें एवं करों का पूर्ण रूप से भुगतान न कर दूं मुझे भूखण्ड विक्रय/स्थानान्तरण या गिरवी रखने का अधिकार न होगा और न ही भूखण्ड में कोई अन्य निर्माण कार्य अथवा परिवर्तन गीडा की आज्ञा के बिना कर निर्माण कार्य अथवा परिवर्तन गीडा की आज्ञा के बिना करूंगा करूंगी और न ही आवासीय उपयोग के अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोग में लाऊँगा लाऊँगी।
8. मैं/हम यह भी घोषित करता/करती हूँ कि मेरे मेरे परिवार के किसी सदस्य के नाम गोरखपुर में आवास विकास परिषद, गोरखपुर विकास प्राधिकरण, नगर निगम व गीडा में कोई भूखण्ड/भवन पहले से आवंटित नहीं है।
9. यदि गीडा द्वारा अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा भविष्य में कोई अन्य शुल्क लगाया जाता है तो मैं उसे समय से भुगतान करूँगा करूंगी।
10. यदि गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित उक्त भूखण्ड का कब्जा मैं न लूं अथवा निर्धारित समय के अन्तर्गत माँगा गया रूपया न जमा करूँ अथवा भूमि की रजिस्ट्री न कराऊं तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गीडा द्वारा निर्धारित की गयी किसी भी शर्त अथवा नियम का उल्लंघन करूं तो मेरे द्वारा जमा समस्त धन को मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गीडा द्वारा जब्त करने, भूखण्ड का आवंटन रद्द करने तथा भूखण्ड पर पुनः कब्जा कर लेने का पूरा अधिकार होगा।

11. यदि भूमि अर्जन के प्रतिकर के सम्बन्ध में न्यायालय के आदेश द्वारा अथवा अन्य किसी न्यायिक प्रक्रिया में अपरिहार्य कारण से आवंटित भूखण्ड के मूल्य में वृद्धि होगी तो मैं उसके निर्धारित नियमों के अनुरूप भुगतान करूंगा/करूंगी/करेंगे।
12. मैंने पंजीकरण पुस्तिका के सभी नियम/शर्तें भली भांति पढ़ एवं समझ लिये हैं तथा मैं इससे सहमत हूँ। ऊपर मैंने जो कुछ भी कहा है वह सब मेरी जानकारी तथा विश्वास के अनुसार पूर्ण रूप से सत्य है और उपरोक्त शपथपत्र में कुछ भी छिपाने का प्रयत्न नहीं किया गया है। यदि यदि मेरे द्वारा की गई उपरोक्त बयानी कुछ भी गलत अथवा असत्य हो अथवा मैंने कोई महत्वपूर्ण प्रासंगिक बात छिपाई हो, तो अन्य अधिकारों के अतिरिक्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गीडा को पूरा अधिकार होगा कि पंजीकरण/आवंटन अनुबन्ध रद्द कर दे व भूखण्ड पर से पुनः कब्जा वापस कर लें और इस सम्बन्ध में मेरे/हमारे द्वारा जमा धनराशि को जब्त कर लें तथा मेरे विरूद्ध जो भी कार्यवाही उचित समझें करें, उसमें मुझे/हमें कोई आपत्ति न होगी।

आवेदक-1

आवेदक के हस्ताक्षर ....

आवेदक का पूरा नाम ....

व पूरा पता ....

आवेदक 2

आवेदक के हस्ताक्षर ....

आवेदक का पूरा नाम ....

व पूरा पता ....

स्थान:

दिनांक :

नोट: संयुक्त आवेदन की दशा में यह शपथ पत्र दोनों आवेदकों द्वारा संयुक्त रूप से प्रस्तुत करना होगा।